न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्री अमरसिंह पुत्र श्री किशोरी जाति माली निवासी गालाखेडा तह कठूमर जिला अलवर (राज0)।

--------सायल

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।

----- गैरसायल

प्रार्थना—पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश

दिनांक :— 16.10.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र पेश कर बताया कि खाता संख्या 132, 10, 130, 131 व 58 वाके ग्राम गालाखेडा तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम अमरचन्द पुत्र श्री किशोरी दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम अमरसिंह पुत्र श्री किशोरी है। प्रार्थी ने अपने नाम को शुद्ध करवाने हेतु अपने नाम अमरचंद के स्थान पर अमरसिंह दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी ने स्वयं का आधार कार्ड, ग्राम पंचायत मंगोलाकी की रिपोर्ट को पेश किया है। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में प्रार्थी का बाला के स्थान पर बालासहाय दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंषा का अवलोकन किया। सायल के प्रार्थना पत्र, स्वयं के आधार कार्ड से

ाता संख्या 132, 10, 130, 131 व 58 वाके ग्राम गालाखेडा तहसील कठूमर में अमरचन्द के स्थान पर अमरसिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 132, 10, 130, 131 व 58 वाके ग्राम गालाखेडा तहसील कठूमर में अमरचन्द के स्थान पर अमरसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तानुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चेतीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)